GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]दिल्ली, बृहस्पितवार, अक्तूबर 18, 2018/आश्विन 26, 1940[रा.रा.रा.क्षे.िद. सं. 635No. 201]DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 2018/ASVINA 26, 1940[N.C.T.D. No. 635

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2018

- सं. 722/नियम/डी.एच.सी.—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 129 एवं दिल्ली उच्च न्यायालय नियम, 1966 (1966 का नियम 26) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय (ऑरीजिनल साइड) नियम, 2018 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है:
- 1. ये नियम दिनांक 1 नवम्बर, 2018 से लागू होंगे।

क) अध्याय-1

- 1. वर्तमान नियम 14 के पश्चात निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जायेगा:
 - "बशर्ते कि जब न्यायालय/न्यायाधीश की यह राय हो कि व्यवहार निर्देश ज़ारी किया जाना अपेक्षित हो तो वह माननीय मुख्य न्यायाधीश को उचित निदेश देगा।
- 2. वर्तमान नियम 16 के पश्चात नया नियम 16क निम्न प्रकार जोड़ा जायेगा।
 - "16क. झूठा साक्ष्य देने पर न्यायालय की दंड देने की शक्तिः जब कोई न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि किसी व्यक्ति ने दंड प्रक्रिया संहिता 1860 की धारा 191 के अनुसार झूठा साक्ष्य दिया है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को सिविल कारावास जिसकी अविध तीन माह से अधिक न हो में निरुद्ध रखे जाने का आदेश देगा तथा/अथवा ऐसे व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश देगा।"

6129 DG/2018

ख) अध्याय-II:

1. नियम 3(14) एवं 3(48) हटाये जाते हैं।

ग) अध्याय-॥:

- 1. वर्तमान नियम 1(ङ) के अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायेगा:
- "वाद पत्र में फ़ाइल किये गये दस्तावेज़/प्रतियाँ की मान्यता को सत्यापित करने का कथन भी अन्तर्निहित होगा।"

घ) अध्याय-IV

- 1. वर्तमान नियम 1(क) के प्रथम वाक्य में शब्द "दस्तावेज़ात" तथा "प्रस्तुत किये जायेंगे" के बीच में कोष्ठकों में निम्नलिखित शब्दों "(मूल या प्रतिलिपि में से कोई एक)" को जोड़ा जायेगा।
- 2. वर्तमान नियम 1(घ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होगा:
- "1(घ) जब दस्तावेज़(आत) की प्रति/(प्रतियाँ) फाइल की गई हैं तो इसका इंडेक्स यह स्पष्ट करेगा कि उसके मूल, किसकी अभिरक्षा, शक्ति एवं नियंत्रण में हैं"
- 3. वर्तमान नियम 1(च) के पश्चात् निम्नलिखित नए नियम 1(छ) तथा 1(ज) जोडे जायेंगे:
- "1(छ) दस्तावेज़ात केवल उनकी सूची के साथ फ़ाइल किये जायेंगे। कोई भी दस्तावेज़ अभिवचन के अनुलग्नक के रूप में फ़ाइल नहीं किया जाएगा।"
- "1(ज) वाद/वाद-पात्र/याचिका के साथ तिथियों की सूची/संक्षिप्त सारांश फाइल किए जायेंगे।"
- 4. वर्तमान नियम 2(क) नियम 2 के रूप में पढ़ा जाएगा।
- 5. वर्तमान नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा:
- "3 दोषपूर्ण अभिवचन/दस्तावेज़: (क) जांच करने पर यदि कोई अभिवचन/दस्तावेज़ दोषपूर्ण पाए जाते हैं तो उपनिबंधक/सहायक निबंधक, फाइलिंग काउंटर के प्रभारी आक्षेप(ओं) को स्पष्ट करेंगे जिसकी एक प्रति न्यायालय के रिकॉर्ड हेतु रखी जायेगी तथा समय के भीतर आक्षेप(ओं) के निराकरण एवं री-फाइलिंग हेतु वापस किये जायेंगे जो समय एक बार में सात दिन तथा कुल मिलाकर 30 दिनों से अधिक नहीं होगा। प्रत्येक री-फाइलिंग पर कैवियेट क्लीयरेंस ली जायेगी। इसके अतिरिक्त पक्षकार जिसके पास प्रथम फाइलिंग के समय मान्य कैवियेट था कैवियेटर(ओं) पर एक सही प्रति तामील करेगा।
- ख) यदि उपनियम (क) के अंतर्गत स्वीकार्य समय 30 दिनों के भीतर आक्षेपों(ओं) के निराकरण हेतु अभिवचन/दस्तावेज़(ओं) वापिस नहीं लिए पाते तो यह उचित आदेश हेतु न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध होंगे।
- उपरोक्त (क) एवं (ख) के उद्देश्य से 30 दिनों की अवधि उस समय से प्रारंभ होगी जब रजिस्ट्री फ़ाइल किये गए अभिवचन/दस्तावेज़ पर आपत्ति उठाती है।
- ग) यदि अभिवचन(ओं)/दस्तावेज़(आत) उपनियम (क) के अंतर्गत स्वीकार्य समय के पश्चात फाइल किये गए हैं तो यह विलम्ब के लिए माफ़ी के एक प्रार्थना पत्र के साथ फाइल किये जायेंगे।"
- 6.नियम 12 में शब्दों "निम्नलिखित" तथा "रखे जायेंगे" के बीच उक्त नियम में दो स्थानों पर प्रयुक्त शब्द "दस्तावेज" शब्द "अभिलेख" द्वारा प्रतिस्थापित होगा।

ङ अध्याय – VI:

वर्तमान नियम 1 (ङ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा :

"1 (ङ) संहिता के आदेश V, नियम 10 में जो भी अन्तर्निहित हो उसके बावजूद, सामान्य रूप से सम्मन की तामील के अतिरिक्त न्यायालय प्रथमतः ही निम्नलिखित समस्त माध्यमों अथवा किसी निम्न माध्यम अर्थात रजिस्ट्री डाक (स्वीकृत देय), स्पीड पोस्ट, प्राधिकृत कूरियर, फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवायें, (यदि आवश्यक हो) हाइपर लिंक सिहत एसएमएस अथवा किसी अन्य वेब आधारित अथवा वर्चुअल संचार माध्यम, अथवा दस्ती द्वारा सम्मन जारी करेगा। इस प्रयोजन हेतु, पक्षकार के वेबसाइट अथवा लोक क्षेत्र / अभिलेख में उपलब्ध ईमेल पता एवं फैक्स संख्या क्रमशः ठीक ईमेल पता एवं फैक्स संख्या माने जायेंगे।"

च. अध्याय VII :

1. अध्याय का शीर्षक "प्रतिवादी की पेशी, लिखित कथन, मुजरा, प्रतिकूल दावा एवं प्रत्युत्तर" के रूप में प्रतिस्थापित होगा।

2. वर्तमान नियम 2(i) के अंत में निम्न वाक्य जोडे जाएँ:

"लिखित कथन में दायर किये गए दस्तावेज (आत) की मान्यता को सत्यापित करने वाला एक कथन भी अन्तर्निहित होगा। जब दस्तावेज (आत) की प्रति (यां) दायर की जाएँ तो यह इंडेक्स में विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि किसकी अभिरक्षा, शक्ति एवं नियंत्रण में उनके मूल हैं। इस नियम के प्रयोजन हेतु सम्मन की तामील उसी समय पूर्ण मानी जाएगी जब वादी द्वारा निरीक्षण कराया जाए, यदि ऐसे निरीक्षण सम्मन की प्रथम सेट की प्राप्ति से 7 दिनों की कालाविध के भीतर लगाए गये आवेदन द्वारा मांगा गया हो।"

3. नियम 2 (ii) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित होंगे:

"किसी दस्तावेजात के मूल के निरीक्षण करने का इच्छुक पक्षकार निरीक्षण हेतु नोटिस देगा एवं नोटिस की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर किसी ऐसी जगह निरीक्षण कराया जाएगा जो दोनों हेतु सहज हो।

4. वर्तमान नियम 3 के अंत में निम्न वाक्य जोड़ा जायेगा:

"इस नियम में निर्दिष्ट शपथ पत्र संहिता के आदेश XI के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार होगा जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत लागू होता है।"

5. वर्तमान नियम 6 के अंत में निम्न वाक्य जोड़ा जाएगा:

"इस नियम में निर्दिष्ट शपथ पत्र संहिता के आदेश XI के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार होगा जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत लागू होता है।"

6. वर्तमान नियम 7 के अंत में निम्न वाक्य जोड़ा जाएगा:

"इस नियम में निर्दिष्ट शपथ पत्र संहिता के आदेश XI के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार होगा जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत लागू होता है।"

7. संशोधित नियम 7 के पश्चात निम्नलिखित नया नियम 7 (क) जोड़ा जाएगा :

"7 क, दस्तावेज अनुसूची – विवाद्यकों की विरचना से पूर्व ग्रहण/खंडन के शपथ पत्र दायर करने के पश्चात न्यायालय में पेश किये जाने हेतु यहाँ दिए गए प्रारूप में पक्षकारगण संयुक्त रूप से "दस्तावेज अनुसूची " तैयार करेंगे।

दस्तावेज़ अनुसूची

1	2	3	4	5	6
दस्तावेजात की विशिष्टियां	वादी का ग्रहण/ खंडन	प्रतिवादी संख्या 1 का ग्रहण/ खंडन	प्रतिवादी संख्या 2 का ग्रहण/ खंडन	प्रतिवादी संख्या 3 का ग्रहण/ खंडन	न्यायालय आदेश
वादी के दस्तावेजात					
प्रतिवादी के दस्तावेजात					

^{*} प्रत्येक दस्तावेज के सामने पक्षकारगण 'ग्रहण'/'खंडन' लिखेंगे। ऐसे स्थिति में जब दस्तावेज की पावती ग्रहण की जाए एवं विषय वस्तु का खंडन किया जाए तो पक्षकारगण ग्रहण (पावती) लिखेंगे।

अनुसूची के अंतिम कॉलम में प्रदर्शित दस्तावेजात के रूप में न्यायालय पृष्टि करेगा। 'दस्तावेज अनुसूची' नियमानुसार प्रदर्श संख्याओं, यदि कोई हों, को अन्तर्निहित करते हुए दिन की कार्यवाही के भाग के रूप में ली जायेगी।

न्यायालय अंतिम बहस के चरण से पूर्व ऐसी ही 'दस्तावेज अनुसूची' तैयार करने एवं दायर करने का आदेश भी देगा।"

- 8. वर्तमान नियम 14 के बाद निम्नलिखित नियम 15, 16 व् 17 नए जोडे जायेंगे:
- "15. विचारण का प्रारंभ: संहिता के आदेश VI नियम 17 में प्रयुक्त शब्द "विचारण का प्रारंभ" से तात्पर्य न्यायालय/ निबंधक/कमिश्नर के समक्ष कार्यवाही में प्रथम साक्षी के गवाही देने की अवस्था से होगा।"

"16. प्रदर्शों का चिन्हांकन: प्रदर्शों का चिन्हांकन स्वीकृति एवं प्रत्याख्यान के शपथ-पत्र के आधार पर होगा तथा प्रदर्शों के चिन्हांकन के लिए संयुक्त निबंधक के समक्ष मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदर्शों के चिन्हांकन के पश्चात वाद चार सप्ताह के भीतर विवाध्यकों के निपटान/मुकद्दमा प्रबंधन सुनवाई हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।"

"17. गोपनीयता क्लब: जब किसी वाणिज्यिक वाद के पक्षकार किन्हीं दस्तावेज़ात/जानकारी पर निर्भर करना चाहते हों जो वाणिज्यिक रूप से अथवा अन्यथा गोपनीय श्रेणी के हों तो न्यायालय एक गोपनीयता क्लब का गठन करेगा ताकि ऐसे दस्तावेज़ात/जानकारी तक पहुँच की अनुमित सीमित हो। ऐसा करने में न्यायालय ऐसे क्लब की स्थापना तथा कार्यप्रणाली हेतु एक पद्धिति/प्रोटोकॉल बनाएगा जिसे वह उपयुक्त समझे। गोपनीयता क्लब की एक उदहारणात्मक अनुलग्नक च में दिया गया है। न्यायालय प्रत्येक मुकद्दमे के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर क्लब की पद्धिति/प्रोटोकॉल को उचित रूप से बनाएगा।"

छ. अध्याय-IX:

- 1. वर्तमान नियम 6 के बाद निम्नलिखित नया नियम 7 जोड़ा जाएगा:
 - "7. क्षति सहित समझौते का प्रस्ताव: समझौते का प्रस्ताव लिखित में होगा तथा प्रस्ताव करने वाले को क्षति सहित होगा। प्रस्ताव वाद/याचिका/मूल कार्यवाही के निष्कर्ष तक मान्य रहेगा जब तक कि अन्यथा न दिया गया हो।

समझौते के प्रस्ताव का प्रत्युत्तर लिखित में दिया जाएगा तथा वह भी क्षति सहित होगा तथा वाद/याचिका/मूल कार्यवाही के निष्कर्ष तक मान्य रहेगा जब तक कि अन्यथा न दिया गया हो।

जब किसी प्रस्ताव/प्रत्युत्तर को इन्कार कर दिया जाता है तथा/अथवा अस्वीकार हो जाता है, तथा वाद/याचिका/मूल कार्यवाही का परिणाम प्रस्ताव/प्रत्युत्तर में निहित शर्तों से कम लाभप्रद होता है तो प्रस्ताव/प्रत्युत्तर को मानने से इन्कार तथा/अथवा अस्वीकार करने वाला पक्षकार, न्यायालय द्वारा दिए गए अनुतोष को प्राप्त करने का हकदार होने के बावजूद भी इन नियमों के अध्याय XXIII के नियम 2 (i) में निर्दिष्ट के अनुसार लागत से बोझिल होंगे।

यदि वाद/याचिका/मूल कार्यवाही का परिणाम प्रस्ताव/प्रत्युत्तर में निहित शर्तों से अधिक लाभप्रद होता है तो उसे मानने से इन्कार/ अस्वीकार करने वाला पक्षकार, न्यायालय द्वारा दिए गए अनुतोष के अतिरिक्त वाद/याचिका/मूल कार्यवाही की पूर्ण लागत को प्राप्त करने का भी हकदार होगा।"

ज अध्याय Xकः

वर्तमान अध्याय X के बाद निम्नलिखित नया अध्याय Xक जोड़ा जाएगा:

"अध्याय Xक

वाद प्रबंधन

- 1. संक्षिप्त निर्णय: वाद प्रबंधन सुनवाई के समय कोई न्यायलय मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड किए बिना संक्षिप्त निर्णय द्वारा किसी विवाद से सम्बंधित दावे का फैसला स्वयं नहीं करेगा।
- 2. 'दावा'- इस आदेश के लिए शब्द "दावा" में शामिल होगा-
 - (क) दावे का अंश
 - (ख) कोई विशेष प्रश्न जिस पर दावा (चाहे पूरा या इसका अंश) निर्भर हो; अथवा
 - (ग) कोई प्रति दावा, जैसा भी मामला हो।
- 3. संक्षिप्त निर्णय के आधार- न्यायालय स्वयं किसी दावे में वादी या प्रतिवादी के विरुद्ध संक्षिप्त निर्णय देगा यदि वह यह समझता है कि-
 - (क) वादी के दावे में सफल होने की कोई वास्तविक सम्भावना नहीं है अथवा प्रतिवादी की दावे में सफलता से प्रतिरक्षा करने की कोई वास्तविक सम्भावना नहीं है, जैसा भी मामला हो; तथा
 - (ख) ऐसा कोई अन्य बाध्यकारी कारण नहीं है कि क्यों न दावे को मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करने से पहले ही निपटा दिया जाये।
- 4. अन्य आदेश/निदेश- न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, वाद के शीघ्र निपटान हेतु अथवा पक्षकारों के बीच विवाद को कम करने के लिए आदेश/निदेश पारित करेगा जैसा कि वह सही समझे, जिसमें निम्न शामिल होगा:
 - (क) तथ्य के उन अभिकथनों को को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए पक्षकारों को बुलाना, जो वाद-पत्र या लिखित कथन में दिए गए हैं तथा उस पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध यह दिए गए हैं स्पष्ट रूप से अथवा विवक्षित तौर पर स्वीकार अथवा अस्वीकार नहीं के गए हैं. जैसा कि संहिता के आदेश X नियम 1 में उपबंधित है:
 - (ख) विवादित मामले को समझने के उद्देश्य से अथवा वाद से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के लिए संहिता के आदेश X नियम 2 के अंतर्गत पक्षकारों के बयान रिकॉर्ड करना;

- (ग) दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए पक्षकारों को बुलाना जैसा कि संहिता के आदेश XI नियम 3 के अंतर्गत अपेक्षित है तथा पक्षकारों के लिए सुविधाजनक किसी स्थान पर एक निश्चित समय सारणी के भीतर, जो लिखित कथन फाइल करने की तिथि से 30 दिनों से अधिक न हो, निरीक्षण करने का निदेश देना;
- (घ) संहिता के आदेश XI नियम 4 के अनुसार, दस्तावेजों के निरीक्षण के पश्चात, स्वीकृति/प्रत्याख्यान का विवरण फाइल करने के लिए पक्षकारों को बुलाना;
- (ङ) संहिता के आदेश XII नियम 2 क के अंतर्गत किसी दस्तावेज की स्वीकृति का आदेश पारित करना, यदि कोई पक्षकार जिसे संहिता के आदेश XII नियम 2 के अंतर्गत नोटिस दिया जा चुका है, स्पष्ट रूप से अथवा विवक्षित तौर पर इनकार करने में विफल रहता है तथा क्षतिपूर्ति का भी आदेश पारित करना जब कोई पक्षकार नोटिस की तामील के पश्चात किसी दस्तावेज को स्वीकार करने में अनुचित ढंग से उपेक्षा या इनकार करता है:
- (च) किसी दस्तावेज को स्वीकार करने से इनकार या उपेक्षा करने वाले पक्षकार द्वारा किसी दस्तावेज या तथ्य को सिद्ध करने की लागत के भुगतान हेतु आदेश पारित करना;
- (छ) सभी स्वीकृत दस्तावेजों तथा तृतीय पक्ष के सार्वजनिक दस्तावेजों जैसे सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी दस्तावेज, प्रख्यात प्रकाशन, समाचार पत्र लेख, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वेबसाइट के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटआउट, पर प्रदर्शों के चिन्हांकन हेतु मामले को निबंधक के समक्ष सूचीबद्ध करने का निदेश देना;
- (ज) संहिता के आदेश XV क के अंतर्गत मुकद्दमा प्रबंधन सुनवाई करना एवं उक्त मुकद्दमा प्रबंधन सुनवाई के भाग के रूप में –
 - i. संहिता की धारा 89 के अनुसार पक्षकारगण के बीच समझौते की सम्भावना देखना।
 - ii. विधि अथवा तथ्य के वैसे प्रश्नों पर जिन पर पक्षकारगण के बीच कोई विवाद नहीं हो, वाद के विचारण को छोड़ने के अभिवाक के आधार पर, उस प्रयोजन हेतु विशिष्ट आवेदन पत्र के बिना किसी संक्षिप्त निर्णय द्वारा वाद के निर्णय की सम्भावना को देखना।
 - ii-क. ऐसे प्रतिवाद अथवा अभिवाद अथवा दावों को हटा देना जिन्हें न्यायालय अतर्कसंगत, तुच्छ अथवा नहीं रखे जाने योग्य विचार करे।
 - iii. केवल ऐसे विवाद्यकों को विरचित करना जो निर्णय हेतु उत्पन्न हों एवं ऐसे विवाद्यकों को जिन्हें न्यायालय तुच्छ एवं नहीं रखे जाने योग्य विचार करे उनकी विरचना हेतु किसी पक्षकार द्वारा जोर दिए जाने पर प्रति विवाद्यक आधार पर विचारण पश्चात हारने वाले पक्षकार द्वारा भुगतान किये जाने हेतु हर्जानों को निर्धारित करना।
 - iv. ऐसे विवाद्यकों का निर्णय करना जो प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं रखते हों।
 - v. दोनों पक्षकारगण द्वारा साक्ष्यों की सूची दायर करने की तिथि निर्धारित करना।
 - Vi. साक्ष्यों की सूची का परीक्षण करना एवं ऐसे विरचित विवाद्यकों के निर्णय हेतु जो आवश्यक हों, केवल वैसे ही साक्ष्यों के परीक्षण का निदेश देना ताकि साक्षीगण की बड़ी संख्या के कारण विचारण अनावश्यक रूप से लंबे समय तक लंबित न रहे।
 - vii. खंडन साक्ष्य, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए समस्त पक्षकारगण द्वारा साक्ष्य के शपथपत्र दायर करने हेतु समय सारणी निर्धारित करना।
 - Viii जब न्यायालय/निबंधक/आयुक्त उचित विचार करें तो चिन्हित/शिनाख्त किये जाने वाले दस्तावेजात की संख्या/जिल्द को देखते हुए जब साक्षीगण के दायर किये गए क्रमशः शपथपत्र के अनुसार प्रदर्श का चिन्हीकरण एवं शिनाख्तगी/शिनाख्तगी के उचित चिन्ह चस्पां किये जाने का कार्य किया जा सके तो यह न्यायालय/निबंधक/आयुक्त के सामने पूर्व विचारण सुनवाई का निदेश देते हुए, साक्षी गण की उपस्थिति में दस्तावेजात को चिन्हित किये जाने से छूट दे सकते हैं। ऐसा करते समय दस्तावेजात के चिन्हीकरण/शिनाख्तगी पर आक्षेप करने वाले किसी पक्षकार के आक्षेपों, यदि कोई हों, को न्यायालय/ निबंधक/ आयुक्त अभिलिखित करेंगे।
 - ix. मुकद्दमा प्रबंधन सुनवाई के पश्चात अपने समक्ष कालावधिक तिथियों को प्रति तीन मान पर निर्धारित करते हुए चल रहे विचारण को देखना।
 - X. जहां सामान्य अथवा एक जैसे विवाद्यक उत्पन्न हों वैसे मुकद्दमे के विचारण को जोड़ने का निदेश देना।

- xi. बाद में संक्षेप दायर करने का निदेश देना।
- xii. अभिलेख के पृष्ठीकरण एवं उन्हें मुकद्दमें के समय पक्षकारगण को दिए जाने हेतु डिजिटल प्रतियों में बदलने का निदेश देना।
- xiii. अंतिम बहस हेतु समय-सीमा निर्धारित करना।

झ. अध्याय -XI

- 1. वर्तमान नियम 6 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होगा:
 - "6. विशेषज्ञ साक्षी न्यायालय स्वतः अथवा किसी पक्षकार के आवेदन पत्र पर किसी विशेषज्ञ साक्षी को गवाही देने की अनुमित देगा। ऐसी स्थिति में, न्यायालय उसके अभिसाक्ष्य (हॉट टबिंग तकनीक, इत्यादि को सम्मिलित करते हुए), को अभिलिखित करने, अभिलिखित किये जाने के ढंग, विशेषज्ञ द्वारा भरोसा किये गए दस्तावेज एवं उसे देय फीस हेतु उचित आदेश पारित करेगा। हॉट टबिंग तकनीक का प्रयोग करने हेतु के उदाहरण स्वरूप ढंग अनुलग्नक-छ में दिया गया है। प्रत्येक मुकद्दमे के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर हॉट टबिंग के तरीके में न्यायालय तबदीली कर सकता है।"
- 2. नियम 7(i) में अक्षर एवं संख्या "3क" के स्थान पर "1क" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 3. नियम 7(iv) में, शब्द "आहार राशि" तथा "के जमा" के बीच शब्द "एवं आदेशिका शुल्क" हटाए जाते हैं।

ञ. अध्याय XII:

- 1. नियम 8(iv) के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगे:
 - "अथवा ऐसे समय जब न्यायालय उचित विचार करे"
- 2. नियम 8(v) में शब्द "न्यायालय" के स्थान पर शब्द "न्यायालय/निबंधक" लगाये जायेंगे।

ट. अध्याय XV:

- 1. वर्तमान नियम 3(ख) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होगा:
 - "3 (ख) ऐसे समस्त व्यक्तियों को एक साथ नोटिस जारी किया जाएगा। यदि नोटिस की तामील के पश्चात निर्धारित तिथि पर वो उपस्थित नहीं हों तो ऐसे व्यक्ति वादार्थ संरक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छक नहीं समझे जायेंगे।"

ठ. अध्याय - XVII :

- 1. वर्तमान नियम 1 निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित होगा :
 - "1. वाणिज्यिक वाद वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन नियमों के अतिरिक्त वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अथवा संहिता के प्रावधानों के पूरक के रूप में न्यायालय ने व्यवहार निदेश जारी किये हैं जहां तक कि ऐसे प्रावधान किसी विशिष्ट मूल्य के व वाणिज्यिक वादों की सुनवाई पर लागू हों। 'दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक खण्ड एवं वाणिज्यिक अपीलीय खण्ड अधिनियम, 2015 की धारा 18 के अंतर्गत व्यवहार निदेश' यहाँ अनुलग्नक (ङ) के रूप में संलग्न किये जाते हैं।"

ड. अध्याय XVIII

- 1. नियम 2 का अंतिम वाक्य अर्थात "ऐसे मुकद्दमे जिनमे साक्ष्य अभिलिखित किये जाने हों बड़े मामलों की श्रेणी में सूचित किये जायेंगे एवं साक्ष्य के पश्चात सुनवाई हेतु आने वाले अंतिम श्रेणी में रखे जायेंगे।" के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य लगाया जाएगा:
- "वैसे मुकद्दमे जो साक्ष्य के पश्चात सुनवाई हेतु लगाए जा रहे हों, अंतिम श्रेणी में सूचित किये जायेंगे।"

ढ. अध्याय-XXIII:

- 1. नियम 2 में, "कमीशन का निष्पादन:" शब्दों के बाद तथा "एवं सभी अन्य" शब्दों से पहले निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जायेगा।
- "जब किसी पक्षकार द्वारा निपटान का उचित प्रस्ताव रखा जाता है तथा दूसरे पक्षकार द्वारा अनुचित रूप से मना किया जाता है, स्वीकृति/प्रत्याख्यान के चरण में, अनुचित कारणों से दस्तावेज़ों का खंडन"

ण. अध्याय-XXIV

1. नियम 9 में, शब्दों "विहित फॉर्म" एवं "उसकी तामील हेतु" शब्दों के बीच में "विहित आदेशिका शुल्क के साथ" शब्दों को हटाए जाते हैं।

त. अध्याय-XXIX

1. नियम 9 में, "निबंधक" शब्द "निबंधक/संयुक्त निबंधक/उप-निबंधक" द्वारा प्रतिस्थापित होगा।

थ. अनुलग्नक -च

वर्तमान अनुलग्नक ङ के बाद, निम्नलिखित नए अनुलग्नक च एवं अनुलग्नक छ को जोड़ा जायेगा:

"अनुलग्नक – च

अध्याय VII नियम 17

गोपनीयता क्लब का प्रोटोकॉल

गोपनीय दस्तावेजात/जानकारी के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

किसी अर्जी की सुनवाई पर, न्यायालय, निम्नलिखित प्रकार से, गोपनीयता क्लब के गठन की आज्ञा देगा:

- क) सभी दस्तावेज़ात/सूचना जिन्हें न्यायालय द्वारा गोपनीय ("गोपनीय दस्तावेज़ों/सूचना") समझा जाता है उन्हें सीलबंद लिफ़ाफे में फ़ाइल करके महानिबंधक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की आज्ञा होगी।
- ख) प्रत्येक पक्षकार तीन अधिवक्ताओं से अधिक नहीं नामांकित करेगी जो किसी भी पक्षकार के आन्तरिक वकील न रहे हों, तथा दो बाह्य विशेषज्ञ से अधिक न हो, जो गोपनीयता क्लब का गठन करेंगे। केवल गोपनीय क्लब के सदस्य ही गोपनीय दस्तावेज़ात/सूचना का निरीक्षण करने के हक़दार होंगे।
- ग) गोपनीयता क्लब के सदस्यों को महानिबंधक के समक्ष गोपनीय दस्तावेज़ात/सूचना का उसकी प्रतिलिपियों के बिना, निरीक्षण करने की अनुमति होगी। निरीक्षण के पश्चात्, गोपनीय दस्तावेज़ात/जानकारी पुन: सीलबंद करके महानिबंधक की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।
- घ) गोपनीय क्लब के सदस्य न ही किसी को किसी भी प्रकार से अथवा किसी भी रूप में, अथवा किसी भी क़ानूनी कार्यवाही में, गोपनीय दस्तावेज़ात/सूचना का प्रकटन करेंगे न ही उसकी अन्तर्वस्तुओं का प्रकाशन करेंगे एवं न ही उसकी प्रतिलिपियाँ करेंगे एवं इसके प्रति न्यायालय के आदेश द्वारा बाध्य होंगे ।
- ङ) गोपनीय दस्तावेज़ात/सूचना के सम्बन्ध में साक्ष्य अभिलिखित करते समय, सिर्फ गोपनीय क्लब के सदस्यों को उपस्थित रहने की आज्ञा होगी।
- च) न्यायालय की कार्यवाही के समय, जब गोपनीय दस्तावेज़ात/सूचना को देखा जाएगा अथवा उनकी अन्तर्वस्तुओं के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी, तब सिर्फ गोपनीय क्लब के सदस्यों को वहां उपस्थित होने की अनुमति होगी।
- छ) न्यायालय अपने विवेक से किसी समुचित मामले में, गोपनीय दस्तावेज़ों की प्रतियाँ विपक्षी दल को देने की अनुज्ञा दे सकता है, गोपनीय सूचना को उसमें से निकालने के बाद, यदि उस प्रकार गोपनीय सूचना को निकालना संभव हो पाये अन्यथा नहीं।
- ज) गोपनीय दस्तावेज़ात/ सूचना से प्राप्त कोई साक्ष्य शपथ पत्र सहित अथवा गवाह का ब्यान जिसमें गोपनीय सूचना हो, उसको सीलबंद लिफ़ाफे में महानिबंधक के समक्ष रखा जायेगा एवं सिर्फ गोपनीय क्लब के सदस्यों को उपलब्ध होगा। यद्दपि पक्षकार जो ऐसा साक्ष्य शपथ पत्र सहित फ़ाइल कर रहा हो, यदि न्यायालय के द्वारा निर्देशित हो, उस शपथ पत्र की एक प्रति विपक्षी दल को देगा, गोपनीय सूचना को उसमें से निकालने के बाद, यदि गोपनीय सूचना को निकालना संभव हो अन्यथा नहीं।
- झ) मामले के निपटान के बाद, गोपनीय दस्तावेज़ात/सूचना निरीक्षण के लिए उपलब्ध नही होगी,उस पक्षकार के सिवाय, जो उसको प्रस्तुत कर रहा हो।
- ञ) यदि जहाँ गोपनीय क्लब गठित हुआ है अथवा दस्तावेज़ों को गोपनीय रखने का निर्देश हुआ है, न्यायालय अभिवचनों को फ़ाइल करने हेतु, समय अवधि को बढ़ा सकता है। यद्दपि, समान मान्य प्रावधानों के द्वारा विहित सीमाओं के भीतर होगा।

"अनुलग्नक छ

अध्याय XI नियम 6

हॉट टबिंग

'हॉट टबिंग एक तकनीक है जिसमें विशेषज्ञ साक्षी साथ साथ एक दूसरे की उपस्थिति में, एवं जज के समक्ष साक्ष्य देते हैं जो प्रत्येक विशेषज्ञ साक्षी से सामान प्रश्न पूछता है। यह विवाद के मुख्य विषय को समझने का एक सहयोगी प्रयास है एवं जहाँ संभव हो सभी के लिए एक सामान्य हल उद्विकसित करना। यद्दिष जहाँ विवाद्यकों का हल संभव न हो, एक संरचित चर्चा, विरोधात्मक प्रक्रिया में अवरोध के बिना विशेषज्ञों को उनके विचारों को प्रकट करने की आज्ञा देता है, तथा एक व्यवस्था जिसमें वे एक दूसरे पर सीधी प्रतिक्रिया दे सकें। न्यायाधीश सिर्फ एक विशेषज्ञ के विचारों तक सीमित नहीं है परन्तु वे बहु विशेषज्ञों से लाभान्वित होते हैं जिनका सार्वजानिक रूप से कठोरता के साथ परीक्षण किया गया है।

जब व्यावसायिक वाद के पक्षकार विशेषज्ञ साक्षी के बयान को अभिलिखित करने के लिए हॉट टबिंग विधि पर निर्भर होते हैं, उस समय न्यायालय, निम्नलिखित विधि का पालन कर सकता है।

- क) सुनवाई से पहले, विशेषज्ञ साक्षी मीटिंग में भाग लेने पर, आपस में सुविधाजनक स्थान पर, संयुक्त बयान तैयार करते है जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- ख) संयुक्त बयान में विवादित विषयों एवं तथ्यों के सहमत ब्यान सम्मिलित होंगे।
- ग) तत्पश्चात, विशेषज्ञ साक्षी के सुझाए गए प्रश्नों को, पक्षकारों के द्वारा फाइल किया जायेगा।
- घ) तत्पश्चात, विवादित विषयों पर सुनवाई की जायेगी।
- ङ) वकील विशेषज्ञ साक्षी के समक्ष प्रश्नों को पूछ सकते हैं, जैसा न्यायालय, आज्ञा करे।
- च) कार्यवाही के अंत में, न्यायालय, विवाद्यकों की विरचना करेगा जिस पर विशेषज्ञ साक्षी सहमत तथा असहमत होंगे।
- छ) विवाद्यकों जिस पर विशेषज्ञ साक्षी असहमत हो, न्यायालय उनके बयानों को अभिलिखित करेगा।

न्यायालय के आदेशानुसार,

दिनेश कुमार शर्मा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI NOTIFICATION

Delhi, the 16th October, 2018

No. 722/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 129 of the Code of Civil Procedure, 1908 and Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendments in the Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018:-

(1) These Rules shall come into force with effect from 1st November, 2018.

A. $\underline{\text{CHAPTER}} - \underline{\text{I}}$:

- 1. The following proviso shall be added after the existing Rule 14:-
 - "Provided where the Court / Judge is of the opinion that Practice Directions are required to be issued, he may make a suitable reference to the Hon'ble Chief Justice."
- 2. New Rule 16A, shall be added after the existing Rule 16, in the following manner:
 - "16A. Power of Court to punish for giving false evidence.- Where a Court concludes that any person has given false evidence within the meaning of Section 191 of the Indian Penal Code, 1860 the Court may order such person to be detained in civil prison for a term not exceeding 3 months and/or may order the attachment of the property of such person."

B. CHAPTER - II:

1. Rule 3(14) and 3(48) shall stand deleted.

C. <u>CHAPTER – III</u>:

1. The following sentence shall be added to the existing Rule 1(e) at its end:-

"The plaint shall contain a statement certifying authenticity of document(s) / copies filed."

D. CHAPTER – IV:

- 1. In the existing Rule 1(a), the following words in brackets "(either original or copies)" shall be added in the first sentence in between the words "documents" and "shall be presented".
- 2. The following shall be substituted for the existing Rule 1(d):-
 - "1(d) Where copy(ies) of document(s) are filed, its index shall specify as to in whose custody, power and control are the original(s) thereof."
- 3. The following new Rules shall be added as Rules 1(g) and 1(h) after the existing Rule 1(f):-
 - "1(g) Documents shall be filed only with a list of documents. No document shall be filed as annexure to any pleading."
 - "1(h) A list of dates/ brief synopsis shall be filed along with the suit/ plaint/ petition."
- 4. The existing Rule 2(a) shall be read as Rule 2.
- 5. The following shall be substituted for the existing Rule 3:-
 - "3. Defective pleading/ document.-(a) Upon scrutiny, if any pleading(s)/ document(s) are found defective, the Deputy Registrar/ Assistant Registrar, Incharge of the Filing Counter, shall specify the objection(s), a copy of which will be kept for the Court Record, and return for removal of objection(s) and re-filing within a time not exceeding 7 days at a time and 30 days in aggregate. On every re-filing caveat clearance shall be taken. In addition, the party must again serve the corrected copy upon the caveator(s) who had a valid caveat at the time of the first filing.
 - (b) If the pleading(s)/ document(s) are not taken back for removal of objection(s) within 30 days time allowed under sub-Rule (a), it shall be listed before the Court for appropriate orders.

The 30 days' period for the purpose of (a) and (b) above, shall commence from the date when the Registry raises the objections on the pleading/document filed.

- (c) If the pleading(s)/ document(s) are filed beyond the time allowed under sub-rule (a) it shall be accompanied with an application for condonation of delay in re-filing."
- 6. In Rule 12, the word "documents" in between the words "following" and "shall be kept" appearing at two places in the said Rule, shall be replaced with the word "record".

E. CHAPTER – VI:

- 1. The following shall be substituted for the existing Rule 1(e):-
 - "1(e) Notwithstanding anything contained in Order V Rule 10 of the Code, the Court may, in the very first instance, issue summons (together with copies of plaint, application, affidavit, documents etc.) by all or any of the following modes of service, viz., registered post (acknowledgement due); speed post; authorized courier; fax; electronic mail service; SMS with a hyperlink (if required) or any other web based or virtual communication mode; or dasti service; in addition to service of summons in the ordinary way. For this purpose, the publicly available e-mail address and fax number, either on the website of the party or in public domain/ records shall also be deemed to be the correct e-mail address and fax number respectively."

F. <u>CHAPTER VII</u>:

1. The title of Chapter shall be substituted as "APPEARANCE BY DEFENDANT, WRITTEN STATEMENT, SET OFF, COUNTER-CLAIM AND REPLICATION".

2. The following sentence shall be added to the existing Rule 2(i) at its end:-

"The written statement shall also contain a statement certifying authenticity of document(s) filed. Where copy(ies) of document(s) are filed, it shall be specified in the index as to in whose custody, power and control are the original(s) thereof. Service of summons for the purpose of this Rule shall only be deemed to be complete after inspection is provided by the Plaintiff, if such inspection is sought by an application moved within a period of 7 days from the receipt of first set of summons."

3. The following shall be substituted for the existing Rule 2(ii):-

"Any party which seeks to inspect the originals of any documents shall give a notice for inspection and the inspection shall be given at a mutually convenient location within one week of receipt of the notice."

4. The following sentence shall be added to the existing Rule 3 at its end:-

"The affidavit referred to in this Rule shall be in accordance with the provisions of Rule 4 of Order XI of the Code, as applicable under the Commercial Courts Act."

5. The following sentence shall be added to the existing Rule 6 at its end:-

"Such affidavit referred to in this Rule shall be in accordance with the provisions of Rule 4 of Order XI of the Code, as applicable under the Commercial Courts Act."

6. The following sentence shall be added to the existing Rule 7 at its end:-

"The affidavit referred to in this Rule shall be in accordance with the provisions of Rule 4 of Order XI of the Code, as applicable under the Commercial Courts Act."

7. The following new Rule shall be added as Rule 7A after the amended Rule 7:-

"7A. Document Schedule.- After the filing of the affidavit of admission / denial, before framing of issues, parties shall jointly prepare a 'Document Schedule' in the form provided herein to be presented to the Court.

DOCUMENT SCHEDULE

1	2	3	4	5	6
Particulars of Documents	Plaintiff's Admission/ Denial	Defendant No. 1's Admission/ Denial	Defendant No. 2's Admission/ Denial	Defendant No. 3's Admission/ Denial	Court Order
Plaintiff's documents					
Defendant's documents					

^{*}Parties are to write 'Admit'/'Deny' against each document. In case, receipt of a document is admitted and contents are denied, parties may write Admit (Receipt).

The Court would make an endorsement as to the exhibited documents in last Column of the Schedule. The 'Document Schedule', duly containing the Exhibit Nos, if any, shall form part of the proceedings of the day.

The Court may also direct filing and preparation of a similar 'Document Schedule' before the stage of final arguments."

8. The following new Rules shall be added as Rules 15, 16 and 17 after the existing Rule 14:-

- "15. Commencement of Trial.- The expression 'commencement of trial' used in Order VI Rule 17 of the Code would mean the stage of tendering of evidence of the first witness in the proceeding before the Court/Registrar/Commissioner."
- "16. Marking of Exhibits.-The marking of exhibits will be on the basis of the affidavit of admission and denial and originals will not be required to be produced before the Joint Registrar for the purpose of marking of exhibits. Upon marking of Exhibits the suit shall be placed before the Court within a period of four weeks for settlement of issues/Case Management hearing."
- "17. Confidentiality Club.-When parties to a commercial suit wish to rely on documents/ information that are commercially or otherwise confidential in nature, the Court may constitute a Confidentiality Club so as to allow limited access to such documents/ information. In doing so, the Court may setup a structure/protocol, for the establishment and functioning of such Club, as it may deem appropriate. An illustrative structure/protocol of the Confidentiality Club is provided in ANNEXURE F. The Court may appropriately mould the structure/ protocol of the Club, based upon the facts and circumstances of each case."

G. CHAPTER – IX:

- 1. The following new Rule shall be added as Rule 7 after the existing Rule 6:-
 - "7. Settlement offer with prejudice.- A proposal to settle shall be in writing and shall be with prejudice to the proposer. The proposal shall remain valid till the conclusion of the suit/petition/original proceeding unless otherwise provided.

A proposal to settle may be responded by a counter proposal in writing, which shall also be with prejudice and would remain valid till the conclusion of the suit/petition/original proceeding, unless otherwise provided.

Where a proposal/counter proposal is declined and/or refused, and the suit/petition/original proceedings results in terms less favourable than those contained in the proposal/counter proposal, the party declining and/or refusing to accept the proposal/counter proposal, notwithstanding being entitled to grant of relief, as awarded by the Court, shall however, be burdened with costs as provided in Rule 2(i) of Chapter XXIII of these Rules.

In case the suit/petition/original proceedings results in terms more favourable than those contained in the proposal/counter proposal, the party declining/refusing to accept the same shall, in addition, to the grant of reliefs, as awarded by the Court, be also entitled to full costs of the suit/petition/original proceedings."

H. <u>CHAPTER XA</u>:

The following new Chapter shall be added as Chapter XA after the existing Chapter X:-

"CHAPTER XA

CASE MANAGEMENT

- 1. Summary Judgment.-At the time of Case Management hearing, a Court, may of its own, decide a claim pertaining to any dispute, by a summary judgment, without recording oral evidence.
- 2. 'Claim'.-For the purposes of this Order, the word "claim" shall include
 - (a) part of a claim.
 - (b) any particular question on which the claim (whether in whole or its part) depends; or
 - (c) a counter claim, as the case may be.

- 3. Grounds for summary judgment.-The Court may, of its own, give a summary judgment against a plaintiff or defendant on a claim if it considers that -
 - (a) the plaintiff has no real prospect of succeeding on the claim or the defendant has no real prospect of successfully defending the claim, as the case may be; and
 - (b) there is no other compelling reason why the claim should not be disposed of before recording of oral evidence.
- 4. Other orders / directions.- The Court may, *inter-alia*, pass orders / directions as it may think fit for the speedy disposal of the suit or narrowing the controversy between the parties, including:
 - a) calling upon the parties to admit or deny such allegations of fact as are made in the plaint or written statement and are not expressly or by implication admitted or denied by the party against whom they are made as provided in Order X Rule 1 of the Code.
 - b) recording the statement of the parties under Order X Rule 2 of the Code with a view to elucidate the matter in controversy or answer the material questions relating to the suit.
 - c) calling upon parties to conduct inspection of documents as required under Order XI Rule 3 of the Code as applicable and direct the inspection to be conducted at any place convenient to the parties within a fixed time schedule not exceeding 30 days from the date of filing of the written statement;
 - d) calling upon the parties to, after inspection of the documents, file statements of admission/denial as per Order XI Rule 4 of the Code.
 - e) passing an order of admission of a document under Order XII Rule 2A of the Code, in case a party to which a notice has been given under Order XII Rule 2 of the Code, has failed to deny specifically or by necessary implication and also passing an order of compensation where a party unreasonably neglects or refuses to admit a document after the service of notice.
 - f) passing an order for paying cost of proving a document or a fact by a party, refusing or neglecting to admit a document.
 - g) direct listing of the matter before the Registrar for marking of exhibits on all admitted documents as also public documents of third parties for e.g., documents issued by government authorities, reputed publications, newspaper articles, electronic printouts from websites which are accessible openly.
 - h) conduct a Case Management hearing under Order XV-A of the Code and as part of the said case management hearing
 - i. explore the possibility of settlement between the parties as per Section 89 of the Code.
 - ii. explore the possibility of deciding the dispute by a summary judgment, without a specific application for the said purpose, on the basis of pleadings dispensing with the trial of the suit on the questions of law or of facts on which the parties are not at issue.
 - ii-a. strike out defences or pleas or claims which the Court considers either unreasonable, frivolous or not maintainable.
 - iii. frame only such issues that arise for adjudication and upon insistence by any parties for framing of issues which the Court considers either frivolous or not

maintainable, affix costs on a per issue basis to be paid by the losing party after trial.

- iv. decide such issues which do not require evidence as preliminary issues.
- v. fix a date for filing of list of witnesses by both parties.
- vi. examine the list of witnesses and direct only such witnesses to be examined as are essential for adjudication of the issues so framed so as to not permit unnecessary protraction of trial with large number of witnesses.
- vii. fix time schedules for filing of affidavits in evidence by all parties including rebuttal evidence, if any.
- viii. Where Court/ Registrar/ Commissioner deems appropriate, keeping in view volume/ number of documents required to be marked/ identified, it may dispense with marking of documents in presence of witnesses, by directing a pre-trial hearing before Court/ Registrar/ Commissioner, when identification and marking of exhibits/ affixation of suitable marks of identification can be carried out in terms of respective affidavit(s) of witnesses filed. While doing so the Court/ Registrar/ Commissioner would record objections, if any, of any party objecting to marking/ identification of documents.
- ix. monitor the trial being carried out by fixing periodic dates before itself every 3 months after the Case Management hearing.
- x. direct consolidation of trials in cases where identical or similar issues arise;
- xi. direct filing of synopsis in the suit.
- xii. direct pagination of the record and convert them to digital copies to be given to all parties in the case.
- xiii. fix time limits for final arguments."

I. CHAPTER – XI:

- 1. The existing Rule 6 shall be substituted as under:-
 - "6. Expert witnesses.-The Court may, either on its own motion, or on an application of any party, permit an expert witness to testify. In such a case, the Court may pass appropriate orders for recordal of his testimony (including, by hot tubbing technique, etc.), manner of recordal, document relied upon by the expert and the fee payable to him. An illustrative protocol for using the "hot tubbing" technique is provided in ANNEXURE G. The Court may appropriately mould the protocol for hot tubbing, based upon the facts and circumstances of each case."
- 2. In Rule 7(i), the alphabet and number "3A" shall be substituted with the alphabet and number "1A".
- 3. In Rule 7(iv), the words "process fees and" in between the words "deposit of" and "diet money" shall stand deleted.

J. <u>CHAPTER – XII</u>:

- 1. In Rule 8(iv), the following words shall be added at its end:-
 - "or at such time as the Court considers appropriate"
- 2. In Rule 8(v), the word "Court" shall be replaced by the words "Court/Registrar".

K. $\underline{\text{CHAPTER} - XV}$:

- 1. The existing Rule 3(b) shall be substituted as under:-
 - "3(b) A notice shall be issued simultaneously to all such persons. Such persons shall be deemed to be unwilling to act as guardian *ad litem*, if, after service of notice, they fail to appear on date fixed."

L. CHAPTER – XVII:

1. The existing Rule 1 shall be substituted as under:-

"1. Commercial Suits.- In exercise of powers conferred under Section 18 of the Commercial Courts Act, the Court has issued Practice Directions in addition to these Rules to supplement the provisions of Chapter II of the Commercial Courts Act or the Code, in so far as such provisions apply to hearing of commercial disputes of a specified value. The 'Practice Directions under Section 18 of The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015' are annexed hereto as Annexure E."

M. CHAPTER – XVIII:

1. The last sentence of Rule 2 i.e. "Cases in which evidence is to be recorded shall be listed in the category of Long Cause and those coming up for hearing after evidence shall be listed in the category of Finals." shall be replaced by the following sentence:-

"Cases which are coming up for hearing after evidence shall be listed in the category of Finals."

N. CHAPTER – XXIII:

1. In Rule 2, after the words "execution of commissions;" and before the words "and all other", the following words shall be added:-

"whether any reasonable offer to settle is made by a party and unreasonably refused by the other party, denial of documents due to frivolous reasons at the stage of admission / denial"

O. CHAPTER – XXIV:

1. In Rule 9, the words "together with the prescribed process fee" in between the words "prescribed form" and "for service thereof" shall stand deleted.

P. CHAPTER – XXIX:

1. In Rule 9, the word "Registrar" shall be replaced by the words "Registrar/Joint Registrar/Deputy Registrar".

Q. ANNEXURE - F:

After the existing Annexure E, following new Annexure F and Annexure G shall be added:

"ANNEXURE F

CHAPTER VII RULE 17

PROTOCOL OF CONFIDENTIALITY CLUB

Procedure to be followed in dealing with confidential documents/information

Upon hearing of an application, the Court may allow constitution of a Confidentiality Club in the following manner:-

- a) All documents/information considered as confidential ("Confidential Documents/Information") by the Court shall be permitted to be filed in a sealed cover to kept in the safe custody of Registrar General.
- b) Each party shall nominate not more than three Advocates, who are not and have not been inhouse lawyers of either party, and not more than two external experts, who shall constitute the Confidentiality Club. Members of the Confidentiality Club alone shall be entitled to inspect the Confidential Documents/ Information.
- c) Members of the Confidentiality Club shall be allowed to inspect the Confidential Documents/ Information before the Registrar General, without making copies thereof.

- After the inspection, the Confidential Documents/ Information shall be resealed and kept in the custody of the Registrar General.
- d) Members of the Confidentiality Club shall not make copies of, or disclose, or publish the contents of, the Confidential Documents/ Information to anyone else in any manner or by any means, or in any other legal proceedings and shall be bound by the orders of the Court in this behalf.
- e) During recordal of evidence with respect to the Confidential Documents/ Information, only members of the Confidentiality Club shall be allowed to remain present.
- f) During proceedings of the Court, when the Confidential Documents/Information are being looked at or their contents discussed, only members of the Confidentiality Club shall be permitted to be present.
- g) The Court may in its discretion and in an appropriate case, permit copies of the Confidential Documents to be given to the opposite party after redacting confidential information therefrom, if such redaction be possible and not otherwise.
- h) Any evidence by way of affidavit or witness statement containing confidential information derived from the Confidential Documents/ Information shall be kept in a sealed cover with the Registrar General and would be accessible only to the members of the Confidentiality Club. However, a party filing such evidence by way of affidavit shall, if so directed by the Court, give to the opposite party, a copy of such affidavit after redacting therefrom the confidential information, if such redaction is possible and not otherwise.
- i) The Confidential Documents/ Information shall not be available for inspection after disposal of the matter, except to the Party producing the same.
- j) In cases where the Confidentiality Club is constituted or documents are directed to be kept confidential, the Court may consider extending the time for filing of pleadings. However, the same shall be within the overall limits prescribed by the applicable provisions."

"ANNEXURE G

CHAPTER XI RULE 6

HOT TUBBING

'Hot-tubbing' is a technique in which expert witnesses give evidence simultaneously in each other's presence and in front of the Judge, who puts the same question to each expert witnesses. It is a co-operative endeavour to identify key issues of a dispute and where possible evolve a common resolution for all of them. However, where resolution of issues is not possible, a structured discussion, allows the experts to give their opinions without the constraints of the adversarial process and in a setting which enables them to respond directly to each other. The Judge is thereby not confined to the opinion of only one expert but has the benefit of multiple experts who are rigorously examined in public.

When parties to a commercial suit wish to rely on the hot tubbing method to record the deposition of expert witnesses, then the Court may adopt the following procedure:

- a) Prior to a hearing taking place, the expert witnesses take parting a meeting, at a mutually convenient place, where they prepare a Joint Statement which shall be filed before Court.
- b) The Joint Statement shall consist of the agreed statement of facts and disputed issues.
- c) Thereafter, suggested questions to be put to the expert witnesses, shall be filed by the parties.
- d) A hearing is then conducted on the disputed issues.

- e) Counsels may put questions to the expert witnesses, as may be permitted by the Court.
- f) At the end of the proceeding, the Court would draw up the issues on which the expert witnesses agree and the issues on which they disagree.
- g) On the issues on which the expert witnesses disagree, the Court shall record their statements."

By Order of the Court, DINESH KUMAR SHARMA, Registrar General